

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-10/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/10)

1. सांवरलाल गुर्जर पुत्र कालूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला ग्राम नायकी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांत

बनाग

1. इरलामुदीन दत्तक पुत्र भूरबुध जाति मुसलमान फकीर, निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
3. उप-पंजीयक केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोजेन्ड्स


4. जमाल उर्फ जमालददीन पुत्र अलाददीन
4/1 धीरी पत्नी जमाल उर्फ जमालददीन
4/2 इमामुददीन पुत्र जमाल उर्फ जमालददीन
दोनों जाति मुसलमान फकीर निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4/3 मदीना पत्नी इकबाल पुत्री जमाल उर्फ जमालददीन निवासी गोगल तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4/4 हरीना पत्नी शराफत पुत्री जमाल उर्फ जमालददीन निवासी चौसला कालोनी तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
5. साबुददीन पुत्र अल्लादीन मृतक जरिए वारिसान
5/1 फकरुदीन पुत्र शहाबुदीन उर्फ साबुदीन
6. रमजान उर्फ रमजानी पुत्र अल्लादीन (फौत)
6/1 रूकसाना पत्नी रमजान मुकाम पोस्ट तहसील केकड़ी
दोनों जाति मुसलमान फकीर निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
7. शहनाज पुत्री अनारदीन पत्नी रईस जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील केकड़ी जिला अजमेर

तरतीबी रेस्पोजेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2021 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, राजस्व वाद संख्या 39/2021

उपस्थित:-

1. श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार, अभिभाषक अपीलांत.
2. श्री शिव प्रकाश, अभिभाषक रेस्पोजेंट संख्या 01.
3. श्री मनोज आचार्य, अभिभाषक रेस्पोजेंट संख्या 4/1 से 4/4, 7.
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेंट संख्या 2, 3.
5. रेस्पोजेंट संख्या 5/1, 6/1 अनुपस्थित.


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांक:-06.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 39/2021 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.07.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1-3 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 53, 188 व 208 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 2.90 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी को भूखण्ड का दत्तक पुत्र होने के कारण 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अंत में वादी ने उनके हिस्से तक खातेदार घोषित कर, विवादित आराजीयात का बाई मिंटस एड बाउण्डस बंटवारा कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी, वादी की कब्जे काश्त की आराजीयात पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी न करें। इस्लामुद्दीन के पास कोई रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं था और ना ही मुस्लिम विधि में कोई गोद लेने का प्रावधान है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कतई पोषणीय नहीं होने से डिक्री किए जाने योग्य नहीं था। फिर भी उक्त वाद को आपसी राजीनामे से बिना सभी पक्षकारों की उपस्थिति के कैम्प कोर्ट में केवल जमाल के वारिसान के हस्ताक्षर से डिक्री करवा लिया। इसके पश्चात उक्त पत्रावली न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं होने से अंतिम डिक्री पारित नहीं हो सकी फिर दिनांक 15.4.2021 को वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 151 प्रस्तुत कर वाद में अंतिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी बिना पक्षकारों को नोटिस जारी किए सीधे ही तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब कर आगामी दिनांक 13.5.2021 की नियत कर दी। फिर कोरोना महामारी के चलते दिनांक 2.7.2021 को पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसमें भी कोरोना के चलते आगामी दिनांक 23.7.2021 की नियत कर दी। इस प्रकार दिनांक 23.7.2021 को किसी भी पक्षकार को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बगैर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 23.7.2021 निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 39/2021 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 5/1, 6/1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थीगण को बिना पक्षकार बनाए एवं सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत किए बगैर प्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। जबकि प्रार्थीगण विवादित आराजीयात का क्रेता होकर सह खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.7.2021 से व्यथित पक्षकार है। प्रार्थीगण रिकार्डेड सह खातेदार काश्तकार होकर विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त में है एवं एक व्यथित पक्षकार है जिससे प्रार्थीगण को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने





राजेश कुमार
अजमेर

की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलांट के विक्रेता को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बगैर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी एवं तत्पश्चात अपीलांट को पक्षकार मुर्तिब किए बिना एवं मृतक के विरुद्ध अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो पाई जब वादी द्वारा विवादित आराजीयात का निर्णय करवा लेने की बात किए जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 13.12.2021 को अपने खाते की नकल निकलवाई और अभिभाषक नियुक्त कर मुकदमे की जानकारी करी तब अपीलांट को उनके विरुद्ध पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 23.7.2021 की जानकारी हुई जिस पर उन्होंने ने दिनांक 26.12.2021 को न्यायालय में उपरिथत होकर अपने अभिभाषक से उक्त निर्णय की प्रति हेतु आवेदन करवाया एवं दिनांक 29.12.2021 को नकल प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई और उसी दिन अजमेर आकर अधिवक्ता से मिलकर अपील तैयार करवाई और आज जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि किसी भी न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की रिथति में न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारों के पास उपलब्ध दरतावेजों के आधार पर नए सिरे से पत्रावली मुर्तिब कि जाकर उसे प्रमाणित किया जाता है तत्पश्चात उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है इस प्रकार पत्रावली मुर्तिब किए बिना ही केवल धारा 151 के प्रार्थना पत्र पर अंतिम डिक्री पारित कर दी। न्यायालय द्वारा इतने लंबे समय बाद अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने बिना नोटिस जारी किए निर्णय पारित कर दिया जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना तामिली के पारित किया गया निर्णय है। विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 151 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही प्रतिवादी संख्या 2 साबुद्दीन फौत चुका था और उसके विरासत का नामांतरण उसके पुत्र फकरुद्दीन के नाम दर्ज हो चुका था और फकरुद्दीन ने उक्त भूमि का बेचान भी अपीलांट को कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में बनाए गए पक्षकार साबुद्दीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के पहले ही फौत हो चुके थे जिनकी वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में भी तहसीलदार द्वारा जरिए नामांतरण दर्ज कर दिए गए थे इस प्रकार वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 को उक्त पक्षकार की मृत्यु हो जाने की पूख्ता सुचना थी फिर भी रेस्पोंडेंट 1 वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों को प्रकट नहीं किया इस प्रकार न्यायालय द्वारा पारित आदेश मृतक के विरुद्ध पारित आदेश है। विवादित भूमि साबुद्दीन के पुत्र फकरुद्दीन ने अपीलांट को दिनांक 12.3.2021 को बेचान कर दी थी और बेचान किए जाने के बाद विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त भी हो गया था। जिसकी जानकारी वादी संख्या 1 को थी। इस प्रकार वादी संख्या 1 ने पूर्णतया जानकारी में होने के बाद भी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया इस प्रकार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाए




राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विना ही न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। गुरिलग विधि में गोद लेने का कोई नियम व प्रावधान नहीं है और ना ही सक्कुलर विधि के अनुसार वादी के पास कोई विधिक गोद नामा था। इस प्रकार वादी विवादित आराजीयात में से हिरसा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरकानूनी रूप से पारित डिक्री के आधार पर वादी का वाद डिक्री मान कर जांच रिपोर्ट बावत तहसीलदार को लिख दिया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी ने ना तो साबुददीन के वारिसान को और ना ही अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव के संबंध में कोई नोटिस दिया और ना ही इस विभाजन प्रस्ताव की कोई जानकारी अपीलांट को हुई एव ना ही आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार द्वारा नोटिस दिए विना ही व मौके पर जाए विना ही गौका फर्द तैयार किया गया है इस प्रकार अंतिम डिक्री राजस्व नियम 18-21 को दरकिनार कर पारित कर दी जो कि कानून के विपरीत है। जिसके समर्थन में 1995 आर0वी0जे पेज 626, 2000 आर0वी0जे0 पेज 194, 1996 आर0वी0जे 58 में सिद्धांत पारित किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 39/2021 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौरान जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शहाबुददीन पक्षकार मुर्तिव था एवं शहाबुददीन के द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष राजीनामा किया गया था एवं राजीनामों में शहाबुददीन के स्वयं के हस्ताक्षर प्राथमिक डिक्री राजीनामों के आधार पर पारित की गई थी ऐसी स्थिति में विपक्षी का कथन एकपक्षीय आदेश पारित किया कतई निराधार है। चूंकि विपक्षी अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 135/2021 मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया हुआ है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, केकडी को अपीलांट के हक एवं अधिकारों साथ ही बंटवारे के बावत अधिकार तय करने है ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विपक्षी की अपील ही प्रथम दृष्टया रांधारण योग्य नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है एवं साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित राजीनामों के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं उपरोक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित की गई है ऐसी स्थिति में राजीनामों से पारित डिक्री के विरुद्ध विपक्षी को अपील पेश करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने से एवं विपक्षी प्रभावित पक्षकार नहीं होने से विपक्षी को कानूनन अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शहाबुददीन के हिस्से में आई भूमि ही अपीलांट ने खरीद की है एवं बंटवारे में शहाबुददीन के हिस्से में आई भूमि ही अपीलांट को प्राप्त हुई है। साथ ही अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेग्युलर वाद वास्ते बंटवारा एवं उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलांट के हक, अधिकार एवं बंटवारा होना तय होगा ऐसी स्थिति में विपक्षी न तो आवश्यक पक्षकार है न ही व्यथित पक्षकार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी ने



Am
राजस्थान अपील प्राधिकार,
अजमेर

विवादित आराजी मुतनाजा शहाबुद्दीन पुत्र अलादीन से खरीद की थी एवं दिनांक 17.8.2021 को विपक्षी ने रेग्युलर चाद गय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था ऐसी स्थिति में दिनांक 17.8.2021 को ही विपक्षी को उपरोक्त अंतिम निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी एवं साथ ही उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष शहाबुद्दीन के चारिस्थान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया था जबकि विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 13.12.2021 को ही पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 26.12.2021 को होना अंकित किया है जबकि उनके द्वारा रेग्युलर चाद दिनांक 17.8.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था ऐसी स्थिति में विपक्षी ने धारा 5 गियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने गियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो रादगाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अधिभाषक रेसपोडेंट ने जवाब/बहस अपील पर कथन किया कि ग्राम कादेड़ा की जमाबंदी संवत् 2065-68 के खाता संख्या 291 रकबा 2.90 हैक्टर भूमि में से वादी/रेसपोडेंट को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार, वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दावा डिक्री कर बंटवारा करने हेतु तहशीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था तहशीलदार केकड़ी ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव न्यायालय में बंटवारा प्रस्ताव पेश कर दिया गया था। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी/रेसपोडेंट का डिक्री निर्णय दिनांक 10.7.2015 के अनुसार 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया था, तथा वादी/रेसपोडेंट का वाद ग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा नियत है। तथा शेष वादीगण का भी उक्त निर्णय दिनांक 10.7.2015 के अनुसार 1/6 हिस्सा नियत है। तथा उसी अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव मौके पर तैयार किया गया था यह कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव व निर्णय दिनांक 10.7.2015 के अनुसार शाहबुद्दीन पुत्र अल्लाद्दीन कोम मुसलमान का वाद ग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा नियत था। तथा बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार खरारा नम्बर 992/2 व 993/1 खरारा नम्बर उसके हिस्से में आए हुए है। तहशीलदार, केकड़ी ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव न्यायालय में पेश कर दिया था। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार न्यायालय को अंतिम डिक्री जारी की जानी थी किन्तु काफी तलाश करने के बावजूद भी पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा अंतिम डिक्री जारी नहीं होने के कारण ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था क्योंकि प्रकरण में अंतिम डिक्री बनायी जानी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शहाबुद्दीन के द्वारा राजीनाम किया गया था एवं राजीनामे में शहाबुद्दीन के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित थे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहशीलदार, केकड़ी के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने



JM
 जयपुर अपील प्राधिकारी
 अक्टोबर-10.

पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया कि प्राथीगण विवादित आराजीयात का क्रेता होकर सह-खातेदार काश्तकार है, जिससे प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 से व्यथित पक्षकार है। हमारा मत है कि अपीलार्थी सांवरलाल ने जमीन क्रय की है। क्रेता सावधान रहे के सिद्धान्त अनुसार उसे आराजी को खरीदने से पहले यह देखना था कि इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति क्या है ?, सहाबुदीन के हक अधिकार के सम्बन्ध में सांवरलाल को उज्र उठाने का कोई अधिकार नहीं है, गोद लेने या न लेने के प्रश्न का उज्र सहाबुददीन को था न कि क्रेता को। सहाबुददीन द्वारा बेचान किये गये 1/5 हिस्से पर आज भी सांवरलाल काबिज है, ऐसे में उसका हिस्सा कम कैसे हुआ, यह बताने में असफल रहा था। बाद विचाराधीन रहते हुए उसके द्वारा जमीन क्रय की गई वह कैसे भी ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1882 के सेक्सन 52 से पाबंद है। ऐसे में उज्र उठाये जाने का अधिकार नहीं है। सहाबुदीन के हिस्से में आई भूमि ही अपीलांट को प्राप्त हुई है। वैसे भी अपीलांट ने अपने अधिकारों बाबत विचारण न्यायालय में पृथक से दावा अन्तर्गत बंटवारा एवं उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलांट के हक, अधिकार एवं बंटवारा होना उसमें तय हो जायेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहाबुददीन पक्षकार मुर्तिव था एवं सहाबुददीन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा किया गया था एवं राजीनामे में सहाबुददीन के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है। ऐसे में राजीनामों के आधार पर हुई यह डिक्री अपील योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी खारिज योग्य पाया जाता है।

12. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी को खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. खारिज होने से अपील भी खारिज की जाती है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर